

कशोर होने का दावा

स्रोत: हट्टुसुतान टाइम्स

हल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया की कआपराधकि कार्यवाही के कसी भी चरण में, जसिमें दोषसदिधि और सजा के अंतमि होने के बाद भी कशोर होने की दलील दी जा सकती है

- न्यायालय ने कहा कि कशोरवय एक अधकिार है और इसमें देरी या प्रक्रयिगत तकनीकी कारणों से छूट नहीं दी जा सकती ।
- न्यायालय ने कहा कि यदमिमला कशोरवय का है तो अंतमि नरिणय भी ममले के पुनरमूल्यांकन को नहीं रोकता ।
- कशोर न्याय अधनियिम, 2015 की धारा 94, दोषसदिधि के बाद भी कशोर होने के दावे को उठाने की अनुमति देती है, जसिसे यह सुनश्चिति होता है कि प्रक्रयिगत देरी के बावजूद कशोरों के अधकिारों की रक्षा की जाती है ।
- इसी प्रकार, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही के कसी भी स्तर पर कशोर होने के दावे को स्वीकार किया था ।
- कशोर न्याय अधनियिम, 2015 के अनुसार कशोर की परमिषा उस वयकृत् के रूप में की गई है, जसिने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो ।
 - यद 16-18 वर्ष की आयु के कशोरों पर जघनय अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा ।

और पढ़ें: [कशोर न्याय संशोधन अधनियिम, 2021 से संबंधति मुददे](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/claim-of-juvnenility>